सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय : अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : नखतदान बारहठ, आर0ए0एस0

अपील प्रकरण सं0 42/2018

1. ममता पत्नी स्व. श्री कुलविन्द्र सिंह जाति जाट निवासी जी–24 सिविल लाईन श्रीगंगानगर राज0।
2. खुशी पुत्री स्व0 कुलविन्द्र सिंह जाति जाट निवासी जी–24 सिविल लाईन श्रीगंगानगर राज0।

अपीलार्थी

बनाम

1. विद्यादेवी पत्नी श्री गुरदयाल सिंह जाति जाट निवासी चक 4 ई छोटी तहसील वा जिला श्रीगंगानगर।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिए तहसीलदार राजस्व श्रीगंगानगर।

रेस्पोडेन्टस

उपस्थित :

1. श्री जगमोहन आहूजा अधिवक्ता अपीलार्थी
2. श्री मोहनलाल माहर अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट
3.

:: आदेश :: **दिनांक :– 23.07.2018**

प्रस्तुत अपील का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि विवादित अराजी अपीलांटा के पति की माता विद्यादेवी रेस्पोडेन्ट सख्या 01 द्वारा कुल 53.1300 हैक्टर मय खाला भूमि में से 1.704 हैक्टयर भूमि में से 0.568 हैक्टर नहरी भूमि को अपीलांट के पति को जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 06.09.2013 को पुरी बाजारू कीमत लेकर बैय कर दी ओर कब्जा मय पानी की बारी भी सौंप दिया है ओर जिसके पृष्ट संख्या 3 के प्रथम पैरा में यह भी दर्ज किया गया है कि आज के बाद मिकरा व मिकरा के किसी अन्य वारिस शहीम व शरीक का उक्त बैयनामा भूमि में कोई हक व तालूक नहीं रहा है भविष्य में मिकरा एवं मिकरा का कोई वारिस शहीम व शरीक पैदा होकर उक्त बैयनामा भूमि बाबत उजर करेगा व दावेदार होगा तो वह सरासर झूठा होगा। इसके बावजूद भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के प्रार्थना पत्र पर दिनांक 10.04.2018 को अपीलांट के पति की मृत्यु होने के पश्चात जिसका मृत्यु प्रमाण पत्र वारिसनामा प्रमाण पत्र सलंग्न किया था तथा वारिसान के नाम अपीलांट सख्या 1 वा अपीलांट संख्या 2 नाम भी समस्त भूमि का इंतकाल दर्ज ना करके रेस्पोडेन्ट संख्या 01 विद्या देवी के नाम दर्ज कर दिया जो कानून उनको कोई अधिकार नहीं था क्योंकि वह अपना हक पूर्ण रूप से जरिये बैयनामा के जरिए अपीलांट के पति के हक में छोड दिया था। सम्बन्धित तहसीलदार द्वारा कोई भी स्पीकिंग आर्डर पास नहीं किया गया केवल नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने हेतु ही आदेश क्रमांक 2216 दिनांक 10.04.2018 को लिखा गया था उसके बावजूद भी सम्बन्धित पटवारी व तहसीलदार द्वारा अराजी जैर बहस में (विद्यादेवी माता) रेस्पोडेन्ट सख्या 01 का नाम भी इंतकाल में दर्ज कर दिया जब कि कानून ऐसा कोई भी आदेश नहीं दिया गया ना ही उनका कोई हक उपरोक्त भूमि में बनता था क्योंकि उसके स्वयं द्वारा ही यह भूमि अपीलांट के पति के पक्ष में बैय की गई थी। इन्तकाल करने से पूर्व ना तो नियमों की पालना की गई ओर ना ही कोई सुनवाई का अवसर दिया गया है ओर ना कोई साक्ष्य व सबूत पेश करने का मौका दिया गया है ओर ना लैण्ड रिकॉर्ड रूल्स 119 से 126 तक की पालना की गई ना ही कब्जा की रिपोर्ट ली गई। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त करने योग्य है। लिहाजा अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

इन्तकाल संख्या 286 दिनांक 08.06.2018 को निरस्त फरमाया जाकर रजि0 बैयनामा अनुसार अपीलांट के नाम से इंतकाल दर्ज करने का आदेश फरमाया जावे।

अपील से संबंधित रेकार्ड तलब किया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादित अराजी अपीलांटा के पति की माता विद्यादेवी रेस्पोडेन्ट सख्या 01 द्वारा कुल 53.1300 हैक्टर मय खाला भूमि में से 1.704 हैक्टयर भूमि में से 0.568 हैक्टर नहरी भूमि को अपीलांट के पति को जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 06.09.2013 को पुरी बाजारू कीमत लेकर बैय कर दी ओर कब्जा मय पानी की बारी भी सौंप दिया है ओर जिसके पृष्ट संख्या 3 के प्रथम पैरा में यह भी दर्ज किया गया है कि आज के बाद मिकरा व मिकरा के किसी अन्य वारिस शहीम व शरीक का उक्त बैयनामा भूमि में कोई हक व तालूक नहीं रहा है भविष्य में मिकरा एवं मिकरा का कोई वारिस शहीम व शरीक पैदा होकर उक्त बैयनामा भूमि बाबत उजर करेगा व दावेदार होगा तो वह सरासर झूठा होगा। इसके बावजूद भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के प्रार्थना पत्र पर दिनांक 10.04.2018 को अपीलांट के पति की मृत्यु होने के पश्चात जिसका मृत्यु प्रमाण पत्र वारिसनामा प्रमाण पत्र सलंग्न किया था तथा वारिसान के नाम अपीलांट सख्या 1 वा अपीलांट संख्या 2 नाम भी समस्त भूमि का इंतकाल दर्ज ना करके रेस्पोडेन्ट संख्या 01 विद्या देवी के नाम दर्ज कर दिया जो कानून उनको कोई अधिकार नहीं था क्योंकि वह अपना हक पूर्ण रूप से जरिये बैयनामा के जरिए अपीलांट के पति के हक में छोड दिया था। सम्बन्धित तहसीलदार द्वारा कोई भी स्पीकिंग आर्डर पास नहीं किया गया केवल नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने हेतु ही आदेश कमांक 2216 दिनांक 10.04.2018 को लिखा गया था उसके बावजूद भी सम्बन्धित पटवारी व तहसीलदार द्वारा अराजी जैर बहस में (विद्यादेवी माता) रेस्पोडेन्ट सख्या 01 का नाम भी इंतकाल में दर्ज कर दिया जब कि कानून ऐसा कोई भी आदेश नहीं दिया गया ना ही उनका कोई हक उपरोक्त भूमि में बनता था क्योंकि उसके स्वयं द्वारा ही यह भूमि अपीलांट के पति के पक्ष में बैय की गई थी। इन्तकाल करने से पूर्व ना तो नियमों की पालना की गई ओर ना ही कोई सुनवाई का अवसर दिया गया है ओर ना कोई साक्ष्य व सबूत पेश करने का मौका दिया गया है ओर ना लैण्ड रिकॉर्ड रूल्स 119 से 126 तक की पालना की गई ना ही कब्जा की रिपोर्ट ली गई।

दौराने बहस अधिवक्ता अपीलांट ने फार्म नम्बर 03 के साथ अखबार सीमा सन्देश दिनांक 24.05.2015 की प्रति पेश की जिसमें रेस्पोडेन्ट ने अपीलार्थी के पति कुलविन्द्र सिंह एवं अपीलार्थी के पति की बहन देवेन्द्र कौर को अपनी चल व अचल सम्पति से बेदखल करने की विज्ञप्ति प्रस्तुत कर कहा कि जब उसे **बेदखल कर दिया गया है** तो उसकी सम्पति में उसकी **माता रेस्पोडेन्ट का कोई हक नहीं बनता है।** लिहाजा अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश इन्तकाल संख्या 286 दिनांक 08.06.2018 को निरस्त फरमाया जाकर रजि0 बैयनामा अनुसार अपीलांट के नाम से इंतकाल दर्ज करने का आदेश फरमाया जावे।

अधिवक्ता रेस्पोडेंटस ने अपनी बहस में कथन किया कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के तहत माता अपने पुत्र की सम्पति में बराबर की हकदार है। दौराने बहस उन्होने अखबार में साया **"बेदखली सूचना बाबत इनकार किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 स्वयं ने उपस्थित होकर कहा कि मैने कोई बैयनामा नहीं किया बल्कि मेरे साथ धोखा करके मेरे पुत्र ने यह बैयनामा करवाया है।** अतः अपील अपीलार्थिया खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश इन्तकाल संख्या 286 दिनांक 08.06.2018 को बहाल रखा जावें।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलाधीन विरासतन इन्तकाल संख्या 286 दिनांक 08.06.2018 तहसीलदार (भू.अ.) श्रीगंगानगर के आदेश कमांकः–भू.अ./2216 दिनांक 10.04.2018 की पालना में दर्ज किया गया है। विवादित भूमि अपीलांटा के पति की माता विद्यादेवी रेस्पोडेन्ट सख्या 01

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

द्वारा 1.704 हैक्टयर भूमि में से 0.568 हैक्टर नहरी भूमि को अपीलांट के पति को जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 06.09.2013 को पुरी कीमत रूबरू गवाहान नकद रूपये दो लाख प्राप्त कर विक्रय की गई है। इसकी पुष्टि सलंग्न पत्रावली नामान्तरण सख्या 223 चक 4 ई छोटी निर्णित दिनांक 12.09.2013 से होती है। इस रजिस्टर्ड बैयनामे का अवलोकन किया। इसमें विक्रेता रेस्पोडेन्ट सख्या 1 विद्योदवी ने यह तहरीर कर स्वीकार किया है कि '' आज के बाद मिकरा या मिकरा के किसी अन्य वारिस सहीम व शरीक का उक्त बैयशुदा भूमि से कोई ताल्लुक व वास्ता नहीं रहा है भविष्य में मिकरा या मिकरा का कोई वारिस व दावेदार होगा तो वह सरासर झूठा होगा और इस उजर व दावे से कोई हरजा या नुकसान खरीददार को होगा या आज से पूर्व का कोई ऋण भार व बकाया उक्त बैयशुदा भूमि पर बरामद होगा तो वह हरजा बकाया व ऋणभार सब मिकरा दाखिल करने की जिम्मेवार होगी''। इस बैयनामे को रेस्पोडेन्ट सख्या 1 यदि धोखे से करवाना कथित करती है तो इसको कानूनन निरस्त करवाने बाबत किसी सक्षम न्यायालय में उसने कोई कार्यवाही अभी तक नहीं की। इससें रेस्पोडेन्ट के कथनों पर विश्वास नहीं किया जा सकता। अभिलेख पर उपलब्ध '' बेदखली की सूचना'' की अखबार प्रति भी इसी ओर संकेत करती है। मृतक और रेस्पोडेन्ट सख्या 1 पुत्र–माता अवश्य है और इस रूप में सामान्य संपति सिद्वान्ततः मृतक की माता को भी हिस्से में हिन्दू उतराधिकार कानून में मिलती है लेकिन माता ही जब अपने पुत्र से समस्त संबंध विच्छेद करके अपनी सम्पति से बेदखली का सार्वजनिक आम सूचना के जरिये ऐलान करती है तब माता–पुत्र का रिश्ता कानूनी हैसियत में नहीं रह जाता। इसी प्रकार जब माता विक्रेता स्वंय अपने पुत्र से प्रतिफल प्राप्त कर जिस भूमि का रजिस्टर्ड बेचान पुत्र के पक्ष में करते हुए यह अभिकथित करती है कि उसका इसमें कोई ताल्लुक व वास्ता नहीं रहा है तब कानूनन मृतक पुत्र की उस क्रयशुदा सम्पति में विरासतन उसका हिस्सा निहित ही नहीं है। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की रजिस्टर्ड बैयनामा में स्वीकारोक्ति के आलोक में अपीलाधीन नामान्तरकरण सख्या 286 ग्राम 4 ई छोटी कानून सही नहीं भरा गया है, लिहाजा इसे निरस्त किया जाता है। तहसीलदार श्रीगंगानगर को आदेश दिया जाता है कि वह अपीलाधीन विवादित आराजी का नामान्तरकरण मृतक कुलविन्द्र सिंह की माता रेस्पोडेन्ट संख्या 01 को छोडकर शेष वारिस उसकी पत्नी ममता तथा पुत्री खुशी के नाम खोलकर बाद तस्दीक राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करें। आदेश की प्रमाणित प्रति तहसीलदार श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 23.07.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

23/7/18

(नखतदान बारहठ)
अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन),श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)